जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 12.09.2024**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज चाकू बरामदः-

आज दिनांक 12.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.कलीम पुत्र रमजानी निवासी ग्राम रिछा थाना देओरनियाँ जनपद बरेली।

बरामदगी का विवरणः-

2.एक चाकू नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 युनूस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 ज्ञानेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 12.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 गैंगस्टर को अवैध हथियार व कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.शुभम पुत्र सोमपाल निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 059/2024 धारा 342/392/411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 062/2024 धारा 307 भादवि व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 154/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 163/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री बन्टी सिंह प्रभारी थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.है0का0 जहीन अख्तर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.का0 अनुज कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बाबरी में मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी हिरासत में:-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 11.09.2024 को वादी श्री दयानन्द पुत्र मोहनलाल निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली ने परिवारिजन पर अभियुक्तगण ब्रह्मपाल आदि द्वारा एक राय होकर जानलेवा हमला के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना बाबरी पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बाबरी में मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने एवं 01 बाल अपचारी को हिरासत में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.ब्रह्मपाल पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।

2.अशोक पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम बाबरी थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर शर्मा थाना बाबरी जनपद शामली।

3.है0का0 सुधीर कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

4.का0 दिनेश कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>थाना कांधला, कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 12.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला, कैराना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला व कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.ब्रजपाल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली ।

2.हारुन अली कोल्हू पुत्र रशीद मल्लाह निवासी ग्राम रामडा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र थाना कांधला जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।

3.है0का0 नितिन थाना कांधला जनपद शामली।

4.है0का0 प्रमोद कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गयाः-

1. वर्ष 2002 में अभियुक्त राजेन्द्र उर्फ सिंघल पुत्र जगमेर निवासी करमूखेडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 375/02 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2001 में अभियुक्त इनाम पुत्र रसीद निवासी पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 24/01 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)JM कैराना शामली द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2013 में अभियुक्त कय्यूम पुत्र यूनुस निवासी नगलाराई थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 350/13 धारा 379/411 भादवि व 4/21 खनिज अधिनियम व 3/20 खनिज अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 1998 में अभियुक्त नेहरू पुत्र सिमरु निवासी मानकपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 119/98 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD) कैराना शामली द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5. वर्ष 2003 में अभियुक्त अनुज उर्फ बिल्लू पुत्र ओमवीर निवासी बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 228/03 धारा 223/224 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को माननीय न्यायालय CJ(SD) कैराना शामली द्वारा उपरोक्त धारा में अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.राजेन्द्र उर्फ सिंघल पुत्र जगमेर निवासी करमूखेडी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.इनाम पुत्र रसीद निवासी पंजीठ थाना कैराना जनपद शामली।

3.कय्यूम पुत्र यूनुस निवासी नगलाराई थाना कैराना जनपद शामली।

4.नेहरू पुत्र सिमरु निवासी मानकपुर थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

5.अनुज उर्फ बिल्लू पुत्र ओमवीर निवासी बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI